भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 33/Press Clipping/7/2018/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्कट नई दिल्ली.110003
दिनांक: **15.10.2018**

सेवा में,

सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार,
1, संसद मार्ग, गोकुल नगर,
संसद मार्ग क्षेत्र,
नई दिल्ली–110001

विषयः आदिवासी बहुल क्षेत्र से गुजरने वाली कटनी–गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा एवं जशपुर जिलों में पड़ने वाले हिस्से की सड़क की दयनीय स्थिति और निर्माण में लापरवाही के संबंध में डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा पत्थलगांव, जशपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 24.09.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पत्थलगांव, जशपुर, छत्तीसगढ़ में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

निर्देशानुसार इस संबंध में अनुरोध है कि उक्त राजमार्ग के पत्थलगांव से लुडेग तक 08 कि.मी. तथा बिलडेगी से लमडांड 08 कि.मी. (कुल 16 कि.मी.) भाग, जिसकी परत निर्माण हेतु उखाड़ दी गई थी, की मरम्मत हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार रुपये 25.00 करोड़ की राशि **'स्पेशल रिपेयर'** बजट शीर्ष से तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि मार्ग को वाहन चलने योग्य बनाया जा सके। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए जा रहे निर्माण की गुणवत्ता की जांच और निगरानी सक्षम स्तर के अधिकारी से करवाने और इस मामले में की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट आयोग को 01 माह की अवधि के भीतर भिजवाने की कृपा करें ।

भवदीय,

(डॉ. ललित लटटा) 15/10/2018
निदेशक

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं संबंधित बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु प्रेषितः</u>

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. श्री के.के. पीपरी, मुख्य अभियंता, एनएच, लोक निर्माण विभाग, एनएच कैम्पस, रायपुर
3. श्री धीरज, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एनएच कैम्पस, रायपुर

4. NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. 33/Press Clipping/7/2018/RU-III

आदिवासी बहुल क्षेत्र में सड़क निर्माण में लापरवाही के संबंध में ''चीफ इंजीनियर की अंतिम चेतावनी भी बेअसर–ठेकेदार ने एनएच का निर्माण शुरू नहीं किया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा पत्थलगांव, जशपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 24.09.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 24.09.2018

समाचार पत्र जशपुर भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 21.04.2018 में यह समाचार प्रकाशित किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले से गुजरने वाले कटनी–गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के हिस्से के रूप में 1400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 02 सड़कों का निर्माण बंद पड़ा है। मुख्य अभियंता के दिनांक 15.05.2018 को निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी को 05 दिन के अंदर पुनः निर्माण कार्य शुरू करने को आदेशित किया गया परंतु ठेकेदार ने उनकी अंतिम चेतावनी को भी दरकिनार करते हुए सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

प्रकाशित समाचार के अनुसार मुख्य अभियंता के सामने नागरिकों ने विरोध जताया तो दिनांक 15.05.2018 को एनएच विभाग के अधिकारी पत्थलगांव पहुंचे व दोनों सड़कों के निर्माण कार्य का जायजा लिया और यह पाया कि कांसबेल सड़क पर लगभग 40 जगह निर्माण कार्य अधूरे हैं। ठेकेदार को पुलिया का काम शुरू करने को कहा गया था, काम पूरा नहीं होने पर अमानत राशि रुपये 60 करोड़ जब्त करने की भी चेतावनी दी गई।

अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने तत्काल कार्रवाई करने को आदेशित किया जिस पर आयोग द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय, रायपुर तथा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिविजन, लोक निर्माण विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा गया।

इस मामले में दिनांक 11.08.2018 को क्षेत्रीय अधिकारी, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य ट्रैफिक के हिसाब से किया जाता है न कि किसी जाति के धर्म या समुदाय को देखते हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास एवं मरम्मत कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग, रायपुर को हस्तांतरित किया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थलगांव से कुनकुरी में 62 किलोमीटर की लंबाई में मंत्रालय ने विकास कार्य के लिए टेंडर जारी किया था। यह कार्य मैं. जी.वी.आर. कम्पनी को मिला था। ठेकेदार ने काम में घोर लापरवाही बरतते हुए कोई

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

काम नहीं किया जो जुलाई, 2018 में सम्पन्न हो जाना था। कार्य की भौतिक प्रगति अभी केवल 3.7 प्रतिशत हुई है। इस विषय में उच्चस्तर पर मंत्रालय तथा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर मीटिंग हुई और ठेकेदार पर जुर्माना लगाते हुए उसका कार्य टर्मिनेशन की प्रक्रिया भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में जारी है।

उपरोक्त के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में विस्तार से चर्चा हेतु पत्थलगांव में दिनांक 24.09.2018 को 02:00 बजे यह बैठक आहूत की जिसमें प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, मुख्य अभियंता (एनएच जोन), लोक निर्माण विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रायपुर तथा कलेक्टर, जशपुर को चर्चा हेतु बुलाया गया।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अत्यंत खराब दशा के कारण जनसामान्य को हो रही भारी दिक्कतों का उल्लेख किया। जिला कलेक्टर, जशपुर ने भी उनकी बात का समर्थन किया। माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी चाही। मुख्य अभियंता (एनएच जोन), लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कटनी से गुमला तक जाता है तथा राज्य में इसके 03 भाग हैं जो अंबिकापुर से पत्थलगांव, पत्थलगांव से कुनकुरी तथा कुनकुरी से झारखण्ड के गुमला जिले की सीमा तक हैं। अंबिकापुर से पत्थलगांव तक के पहले भाग की लंबाई 95 कि.मी. है जिसमें से 16 कि.मी. की दूरी जशपुर जिले में है। इस हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण तथा वन विभाग की अनापत्ति लेने का कार्य वर्ष 2011 से चल रहा था। इसका ठेका मेसर्स जी. व्ही.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड चेन्नई को मिला था जो दिवालिया हो गई है। अब इसका कार्य तिरुपति बिल्डकॉन को दिया जा रहा। इस मार्ग पर अंबिकापुर से भतौली तक दलदल तथा धूल के कारण जाम की स्थिति थी जिसे वाहन चलने योग्य कर दिया गया है। आयोग ने यह जानना चाहा कि वर्क ऑर्डर अक्टूबर, 2016 में दिया गया था जिसे 02 वर्ष में पूरा किया जाना था तो क्या उसके पूर्व आवश्यक अनुमतियां ली जा चुकी थीं। इस पर अवगत कराया गया कि 65 प्रतिशत भूमि का आधिपत्य प्राप्त हो चुका था, अतः वर्क ऑर्डर दिया गया था।

कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.रा.रा.संभाग, अंबिकापुर ने इस संबंध में आयोग को बताया कि अनुबंधित एजेंसी द्वारा अचानक आंतरिक वित्तीय समस्या को लेकर सड़क पर निर्माण कार्य दिनांक 25.01.2018 से बंद कर दिया था एवं निर्माण कार्य के खुले छोड़े जाने से स्थानीय ग्रामीण जन को धूल उड़ने की समस्या उत्पन्न हुई एवं आवागमन में बाधा आने के कारण विभाग द्वारा पानी के टेंकर से लगातार छिड़काव किया जाता रहा है। मार्च, 2018 के मासांत में अन्य एजेंसी को सड़क निर्माण कार्य हेतु मूल अनुबंधक मेसर्स जी.व्ही.आर. ने प्रतिस्थापित किया है किंतु इनके द्वारा अप्रैल, 2018 को उक्त कार्य को छोड़ दिया इस कारण लगातार कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कन्सलटेन्ट के टीम लीडर द्वारा विभिन्न

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तिथियों में (24.01.2018 एवं 11.04.2018) कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुए दिनांक 15.04.2018 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, अधीक्षण अभियंता, प्रोजेक्ट निदेशक श्री मोहन राव के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण कर ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दशा में समुचित निर्देश दिए गए, फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा दिनांक 09.05.2018 से जी.एस. एसोसिएट्स पंजाब को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्थापित कराया गया तथा 17 मई से डब्लू एम एस / जी एस बी कार्य एवं 13 जून से डी.एस.सी का आंशिक कार्य शुरू किया गया था किंतु लगातार बारिश के कारण खुले हुए मार्ग में मूल कार्य किया जाना संभव नहीं था इस कारण पूरी बरसात मौसम में अस्थाई रूप सड़क का मरम्मत कार्य किया जाता रहा है।

अनुबंध के अनुसार कार्यपूर्णता तिथि दिनांक 14.07.2018 तक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करने में असफल होने के कारण दिनांक 13.02.2018 को मोबलाईजेशन की राशि रुपये 15.00 करोड़ का नकदीकरण एवं दिनांक 28.08.2018 को अनुबंध समाप्त करने हेतु सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा गया है। इस मध्य पुनः मूल ठेकेदार मेसर्स जी.व्ही.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, चैन्नई द्वारा दिनांक 10.09.2018 को सब कान्ट्रैक्टर के रूप में जे.एस. ग्रोवर कंस्ट्रक्सन पठानकोट, पंजाब को अधिकृत किया गया है और इनके प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण के पश्चात् आगामी 15 दिनों में पुनः सड़क निर्माण किए जाने हेतु विभाग को आश्वस्त किया गया है।

इसी विषय पर मुख्य अभियंता, लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़) ने आयोग को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत एवं विकास कार्य उस पर ट्रैफिक के हिसाब से आईआरसी कोड के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्थलगांव से कुनकुरी सेक्शन में मार्ग का विकास कार्य लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निर्माण एजेंसी मेसर्स जी.व्ही.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, चेन्नई के माध्यम से अनुबंध कर किया जा रहा है। इस मार्ग के विकास कार्य हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्थलगांव से कुनकुरी लम्बाई 62 कि.मी. की निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें न्यूनतम निविदाकार मेसर्स जी.व्ही.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, चेन्नई को अवार्ड पत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.03.2016 को जारी किया गया। ठेकेदार द्वारा अपने काम में घोर लापरवाही बरतते हुए कोई कार्य नहीं किया और जो कार्य जुलाई, 2018 तक पूर्ण हो जाना था उसकी भौतिक प्रगति अभी तक 3.7 प्रतिशत ही हुई है। इस संबंध में उच्च स्तर पर यथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ शासन लो.नि.वि एवं सचि छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर कई मीटिंग हुई हैं। वर्तमान में ठेकेदार मेसर्स जी.व्ही.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, चेन्नई को जुर्माना लगाते हुए इस कार्य का अनुबंध की समाप्ति की कार्रवाई भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रक्रिया में है। मार्ग के पत्थलगांव से कुनकुरी सेक्शन को वर्तमान में

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मोटरबेल स्थिति में लाने के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

मुख्य अभियंता, (एनएचडीपी–IV) ने आयोग को जानकारी दी कि ठेकेदार कंपनी के दिवालिया हो जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है तथा इस कार्य के लिए मंत्रालय के पास धन की कमी नहीं है। सड़क निर्माण हेतु आवश्यक अनुमतियां तथा कार्य साथ–साथ चलते रहते हैं। आयोग ने ठेकेदार कंपनी की बैंक गारण्टी जब्त करने बाबत् प्रश्न किया तो बताया गया कि अनुबंध में यह प्रावधान मौजूद है किंतु ठेका समाप्त करने पर ही यह संभव है। ठेके के जारी रहते बैंक गारण्टी जब्त नहीं की जा सकती। अनुबंध को खत्म होने से बचाने के लिए ही पत्थलगांव–कुनकुरी सड़क का कार्य करने के लिए तीन माह समय सीमा बढ़ाई गई है।

आयोग ने जानना चाहा कि ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है। मुख्य अभियंता (एनएच जोन), लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने बताया कि कुछ ही दिन में यह निर्णय हो जाएगा कि पंजाब के उप ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर–पत्थलगांव तथा पत्थलगांव से कुनकुरी मार्ग को वाहन चलने योग्य बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अंबिकापुर से पत्थलगांव तक के मार्ग को उसकी मूल लागत पर ही कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा पत्थलगांव–कुनकुरी मार्ग के 16 कि.मी. हिस्से को छोड़कर, जो खुली हुई है, बाकी सड़क को 15 नवम्बर, 2018 तक वाहन चलने योग्य बना दिया जाएगा। ठेकेदार से अनुबंध के जारी रहते हुए 16 कि.मी. के उस हिस्से की (जो पत्थलगांव से लुडेग तक 08 कि.मी. तथा बिलडेगी से लमडांड 08 कि.मी. है) मरम्मत हेतु यदि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार रुपये 25.00 करोड़ की राशि 'स्पेशल रिपेयर' बजट शीर्ष से करा दे तो ही उस हिस्से की मरम्मत संभव हो सकेगी अन्यथा ठेकेदार के माध्यम से, जो कार्य कराने में असमर्थ है या ठेका निरस्त कर नई निविदाएं आमंत्रित करने में काफी समय लग सकता है और तब तक लोगों को असुविधा होती रहेगी।

आयोग द्वारा सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से पत्थलगांव वाले हिस्से को वाहन चलने योग्य बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव से कुनकुरी वाले हिस्से को 15 नवम्बर, 2018 तक वाहन चलने योग्य बना दिया जाए।
3. उक्त राजमार्ग के पत्थलगांव से लुडेग तक 08 कि.मी. तथा बिलडेगी से लमडांड 08 कि.मी. (कुल 16 कि.मी.) भाग की मरम्मत हेतु यदि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार रुपये 25.00 करोड़ की राशि 'स्पेशल रिपेयर' बजट शीर्ष से तत्काल उपलब्ध कराए ताकि मार्ग को वाहन चलने योग्य बनाया जा सके।

11.10.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. 33/Press Clipping/7/2018/RU-III

आदिवासी बहुल क्षेत्र में सड़क निर्माण में लापरवाही के संबंध में ''चीफ इंजीनियर की अंतिम चेतावनी भी बेअसर–ठेकेदार ने एनएच का निर्माण शुरू नहीं किया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा पत्थलगांव, जशपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 24.09.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. श्री एच.सी.वसावा, सदस्य
3. श्री शिशिर कुमार राथ, संयुक्त सचिव
4. श्री संजय कनोजिया, अध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री अभिषेक दुबे, अध्यक्ष के निजी सहायक
6. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

1. श्री संजय गर्ग, मुख्य अभियंता (एनएचडीपी–IV), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली
2. श्री धीरज, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एनएच कैम्पस, रायपुर

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी

1. श्री के.के. पीपरी, मुख्य अभियंता, एनएच, लोक निर्माण विभाग, एनएच कैम्पस, रायपुर
2. श्री वी.के. पटोरिया, कार्यपालक अभियंता, एनएच पीडब्ल्यूडी, अंबिकापुर

जिला प्रशासन जशपुर, छत्तीसगढ़ शासन

1. श्रीमती प्रियंका शुक्ला, जिला कलेक्टर, जशपुर
2. श्री एस.के. टण्डन, अनुविभागीय अधिकारी, पत्थलगांव, जशपुर
3. श्री संजय दिवाकर, अनुविभागीय अधिकारी, एनएच, जशपुर
3. श्रीमती प्रीति शर्मा, नायब तहसीलदार, राजस्व